



प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक

13 जुलाई, 2026

विषय:- SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आरकेवीवाई-रफ्तार अन्तर्गत “पर ड्राप मोर क्राप” घटक के उप घटक अदर इन्टरवेंशन में वर्षा चल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना(के०60/रा०40-के०+रा०) के अनुदान संख्या-11 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-भू०सं०/एस०एम०एस०-श०एवंवा०/आर०के०वी०वाई०-खे०ता०/60/2026-27, दिनांक 16 जून, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजनान्तर्गत(के.60/रा.40-के.+रा.) विभिन्न मानम मदों में प्राविधानित धनराशि रु० 1700.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश रु० 600.00 लाख व उसके संगत राज्यांश रु० 400.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु० 1000.00 लाख(रुपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
4. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.05.2026 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
6. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कृषि निदेशक, उ०प्र० जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेंट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।
11. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25 दिनांक 21 जनवरी, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों / प्राविधानों एवं अन्य संगत शासनादेशों / नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक:** 2402001020601 (वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 011	2402001020601 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.)	27 सब्सिडी	9,68,23,000 (रुपये नौ करोड़ अड़सठ लाख तेईस हजार मात्र)
2 011	2402001020601 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.)	42 अन्य व्यय	25,77,000 (रुपये पच्चीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)
3 011	2402001020601 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

महायोग	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-1-70-X-2026-27, दिनांक 03 जुलाई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-47/2026/653(1)/001-12-5099-37-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ०प्र० शासना।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।